<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 313/ 2014</u>

योगेंद्र सिंह

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शेर सिंह और एक अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

उपस्थित:-

श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय जोशी, पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सहायता की गयी।

श्री अतुल कुमार साह, उपमहाधिवक्ता

राज्य।

प्रत्यर्थीगण के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय रविन्द्र मैथानी, न्यायमूर्ति (मौखिक)</u>

प्रस्तुत पुनरीक्षण में दिनांक **06.12.2014** के आदेश को चुनौती दी गई है**,** जो **2014** की आपराधिक अपील संख्या **32,** शेर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश**,** लक्सर**,** जिला हरिद्वार के न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को दी गयी सज़ा को कम किया गया और मात्र जुर्माना तक सीमित कर दिया गया।

2. पुनरीक्षणकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली को पढ़ा गया । सूचना जारी होने के पश्चाधत भीप्रत्यर्थी संख्या (i) शेर सिंह और (ii) सेठ पाल की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

3.विवाद के मूल्यांकन के लिए संक्षेप में अनिवार्य तथ्य निम्नानुसार हैं। पुनरीक्षणकर्ता ने प्रत्यार्थी के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 427 के साथ धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की, जो 2012 के शिकायत वाद संख्या 01, योगेंद्र सिंह बनाम शेर सिंह और एक अन्य के अन्त र्गतसिविल जज (जेडी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्सर, जिला हरिद्वार के न्यायालय में दायर की गई थी ("मामला")। इस मामले का निस्तारण दिनांक 28.02.2014 के निर्णय और आदेश द्वारा किया गया था। प्रत्यर्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया था और छह महीने के साधारण कारावास तथा प्रत्येक को 1,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई थी।

4.ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने पुनरीक्षण में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दी। पुनरीक्षण को *लोक अदालत* में सूचीबद्ध किया गया। अदालत द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्तरसजा को कम किया गया।

5.पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के बहस को इस हद तक सीमित करेंगे कि आक्षेपित आदेश विधि के विरुद्ध है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि *लोक अदालत* में किसी मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं किया जा सकता। *लोक अदालत* का क्षेत्राधिकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") की धारा 19 और 20 के अन्तर्गत दिया गया है, जिसमें गुण-दोष के आधार पर निस्तारण की परिकल्पना नहीं की गई है।

6.अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एस्टेट ऑफिसर बनाम कर्नल एचवी मनकोटिया, 2021एससीसी ऑनलाइन एस सी 898 के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भरोसा जताया है ।

7.एच.वी. मनकोटिया के मामले में (*उपर्युक्त*), माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, *अन्य बातों के साथ-साथ*, देखा गया कि *लोक अदालत* में मामले का निर्णय समझौते और परिनिर्धारण के आधार पर

किया जा सकता है। परिच्छेद 10 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "**10.**धारा 20 की उप-धारा (3) के अनुसार, जहां किसी मामले को उप-धारा (1) के अधीन लोक अदालत में भेजा जाता है या जहां उप-धारा (2) के अन्तर्गत इसका संदर्भ दिया जाता है, लोक अदालत मामले या विषय को पक्षकारों के बीच समझौते या परिनिर्धारण कर निपटायेगी । धारा 20 की उपधारा (5) में यह भी प्रावधान है कि जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सकता है , वहाँ उस मामले मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (***1)*** के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था विधि के अनुसार निपटने के लिये लौटा दिया जायेगा।

8. राज्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विद्वान राज्य अधिवक्तां प्रस्तुत करते हैं कि यह एक परिवाद का मामला था, लेकिन वह यह प्रस्तुत करते की *लोक अदालत* में गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता था।

9. वास्तव में, सीमित विवाद, जिस पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है, अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या के संबंध में है। अधिनियम की धारा 19 (5) लोक अदालत को अधिकारिता प्रदान करती है। यह निम्नानुसार है:-

> "**19. लोक अदालतों का आयोजन :-**(1) ....
> (2)....
> (3)....
> (4).....
> (5) किसी लोक अदालत को , उस न्यायालय के, जिसके लिये लोक अदालत आयोजित की जाती है-
>
> समक्ष लंबित किसी मामले की बाबत; या किसी ऐसे विषय की बाबत जो उसकी अधिकारिता के भीतर है किंतु उसके समक्ष नहीं लाया गया है,

> किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी।
>
> परंतु लोक अदालत को , किसी ऐसे अपराध के संबंधित , जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

10. अधिनियम की धारा 19 (5) के अवलोकन से पता चलता है कि , वास्तव में, *लोक अदालत* में समझौता और परिनिर्धारण के आधार पर मामला निपटाया जा सकता है।

11. पंजाब राज्य और अन्य बनाम फूलन रानी और एक अन्य, (2004) 7 एससीसी 555, के मामले में , वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने "समझौता" और "परिनिर्धारण" शब्दों की व्याख्या की। परिच्छेद 7 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "**7.**धारा 20 की उपधारा (3) में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट भाषा यह स्पष्ट करती है कि लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौते या परिनिर्धारण के माध्यम से किसी मामले का निपटारा कर सकती है। धारा 20 की उप-धाराओं (3) और (5) में दो महत्वपूर्ण शब्द "समझौता" और "परिनिर्धारण" हैं। पूर्व अभिव्यक्ति का अर्थ है आपसी रियायतों द्वारा मतभेदों का निपटान। यह मांगों के पारस्परिक संशोधन द्वारा परस्पर विरोधी या विरोधी दावों के समायोजन द्वारा किया गया एक समझौता है। टर्मेस डे ला ले के अनुसार, "समझौता दो या दो से अधिक पक्षकारों का पारस्परिक वादा है जो विवाद में हैं "। बाउवियर के अनुसार, यह "दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है, जो कानूनी मुकदमे से बचने के लिए , अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं , ऐसी शर्तों पर जिन पर वे सहमत हो सकते हैं "। "समझौता" शब्द का अर्थ है प्रत्येक पक्ष पर अनुकूलन का कुछ तत्व। इसे पूर्ण समर्पण की तरह वर्णित करना उपयुक्त नहीं है।

(देखें) *एन.एफ.यू. डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड , आरई* [(1973) 1 ऑलईआर 135 (सीएचडी)] .) एक समझौता हमेशा द्विपक्षीय होता है और इसका मतलब आपसी समायोजन होता है। "परिनिर्धारण" आपसी सहमति से कानूनी कार्यवाही की समाप्ति है। इस मामले में समझौता या परिनिर्धारण शामिल नहीं था और लोक अदालत द्वारा इसका निपटारा नहीं किया जा सकता था। यदि कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं किया गया, या नहीं किया जा सकता है , तो लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी 1 द्वारा दायर 1994 की रिट याचिका संख्या 13555 का निपटान स्पष्ट रूप से अनुचित है।

12. आक्षेपित निर्णय और आदेश समझौते या परिनिर्धारण पर आधारित नहीं है। यह गुण -दोष पर आधारित है। अदालत द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्तल सजा को कम किया गया है। *लोक अदालत* में , न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्तल नहीं था। यह विधि की त्रुटि है।

13. इसलिए, दिनांक 06.12.2014 का आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्यल है। इसे अपास्त किया जाता है। कानून के अनुसार आपराधिक पुनरीक्षण पर नए सिरे से सुनवाई करने के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।

14. पूर्वोक्त निर्देश के अधीन, पुनरीक्षण की अनुमति है।

(रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति)
22.11.2022

अवनीत /